भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1148

उत्तर देने की तारीख: 29.07.2021

लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाएँ

1148 श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

श्री शक्तिसिंह गोहिलः

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं का रूख अपनाने वाले विद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन छात्रों का ब्यौरा क्या है जो इस अवधि के दौरान उपकरणों तक पहुंच न होने, कनेक्टिविटी न होने और अन्य कारणों से ऑनलाइन कक्षाओं में भाग नहीं ले पाए;

(ग) इस अवधि के दौरान कितने छात्रों ने विद्यालय छोड़ दिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान कनेक्टिविटी की कमी और उपकरणों की कमी के कारण आए इस डिजिटल संबंधी अन्तर को पाटने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख) सभी छात्रों द्वारा ऑनलाइन सीखने की सुविधा के लिए 17 मई, 2020 को आत्म निर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में **पीएम ई विद्या** नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है, जो शिक्षा के लिए मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। पहल में शामिल हैं:

- दीक्षा (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा है और इस पर सभी ग्रेड के लिए क्यूआर कोडेड एनर्जाइज्ड पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हैं।
- 1 से 12 तक (एक कक्षा, एक चैनल) प्रति कक्षा एक स्वयं प्रभा टीवी चैनल निर्धारित किया गया है।
- रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पोडकास्ट- शिक्षा वाणी का व्यापक उपयोग।

- एनआईओएस वेबसाइट/यूट्यूब पर डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम (डेज़ी) और सांकेतिक भाषा में विकसित दृष्टिबाधित और श्रवण बाधितों के लिए विशेष ई-कंटेंट।

ये सभी योजनाएं/कार्यक्रम देश भर के सभी छात्रों के लिए उपलब्ध हैं।

ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यूजीसी ने आवश्यक विनियमन अधिसूचित किया है, जो विश्वविद्यालयों को पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रम की पेशकश करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा, यूजीसी स्वयं और ओडीएल विनियमों के प्रावधानों के अनुसार एक कार्यक्रम में 20 प्रतिशत ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के मौजूदा प्रावधानों को "कोविड -19 के दौरान राष्ट्रीय हित" को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वयन के लिए अधिकतम 40 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना और ई-संसाधनों के प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना भी है।

छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिएशिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न डिजिटल पहल जैसे स्वयं ("स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंडस"), स्वयं प्रभा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी (एन डी एल), वर्चुअल लैब, ई-यंत्र, एन इ ए टी (नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी), एफ ओ एस एस ई ई (फ्री ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन) आदि भी जाती हैं।

ऑनलाइन स्कूलों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि इंटरनेट सुविधा वाले स्कूलों की संख्या अनुलग्नक-क में दी गई है।

(ग) वर्ष 2020-21 में स्कूल छोड़ने वाले छात्रोंकी संख्या के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जानकारी की गणना नहीं की गई है, तथापि वर्ष 2019-20 के लिए सूचनाअनुलग्नक ख में प्रदान की गई है।

(घ) सभी पहलों का उल्लेख भाग (क) और (ख) के उत्तर में किया गया है।

****

लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाएँ के संबंध में माननीय संसद सदस्योंश्री मल्लिकार्जुन खरगे औरश्री शक्तिसिंह गोहिल द्वारा दिनांक 29.07.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1148 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक-क

इन्टरनेट सुविधा वाले स्कूलों की संख्या	
राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	**सरकारी**
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	68
आन्ध्र प्रदेश	4104
अरुणाचल प्रदेश	105
असम	2037
बिहार	1492
चंडीगढ़	121
छत्तीसगढ़	1627
दादरा और नगर हवेली	44
दमन और दीव	77
दिल्ली	2440
गोवा	70
गुजरात	23434
हरियाणा	2879
हिमाचल प्रदेश	2153
जम्मू और कश्मीर	1201
झारखण्ड	10891
कर्नाटक	3862
केरल	4393
लदाख	17
लक्षद्वीप	42
मध्य प्रदेश	3792
महाराष्ट्र	7149
मणिपुर	68
मेघालय	99
मिजोरम	60
नागालैंड	61
ओडीशा	1450
पुदुचेरी	180
पंजाब	6830
राजस्थान	16332
सिक्किम	112
तमिलनाडु	6746
तेलंगाना	2408
त्रिपुरा	69
उत्तर प्रदेश	4042
उत्तराखंड	1071
पश्चिम बंगाल	8055
भारत	**119581**

लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाएँ के संबंध में माननीय संसद सदस्यों श्री मल्लिकार्जुन खरगे और श्री शक्तिसिंह गोहिल द्वारा दिनांक 29.07.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1148 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक-ख

राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक			माध्यमिक		
	छात्र	छात्राएं	कुल	छात्र	छात्राएं	कुल	छात्र	छात्राएं	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.7	0.3	0.5	-	-	-	19.1	12.3	15.7
आंध्र प्रदेश	-	-	-	0.3	0.2	0.3	17.2	12.2	14.8
अरुणाचल प्रदेश	7.8	4.6	6.2	7.7	7.2	7.5	37.6	30.9	34.3
असम	5.1	3.6	4.3	4.8	2.1	3.4	31.5	32.9	32.2
बिहार	3.0	1.5	2.3	8.6	9.2	8.9	20.0	22.7	21.4
चंडीगढ़	-	-	-	0.3	0.3	0.3	5.9	3.3	4.7
छत्तीसगढ	1.4	0.6	1.0	4.5	3.1	3.8	19.4	17.2	18.2
दादरा और नगर हवेली	-	-	-	1.1	1.2	1.1	22.8	17.3	20.2
दमन और दीव	0.0	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	23.2	16.5	20.0
दिल्ली	-	-	-	0.1	0.3	0.2	15.7	11.9	13.9
गोवा	0.3	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	12.8	7.2	10.2
गुजरात	1.0	0.9	1.0	3.5	7.2	5.2	26.0	20.6	23.7
हरियाणा	-	-	-	1.3	2.5	1.8	14.4	12.0	13.3
हिमाचल प्रदेश	0.9	0.8	0.9	0.2	1.0	0.6	8.4	5.9	7.2
जम्मू और कश्मीर	3.9	3.9	3.9	3.1	3.4	3.2	16.7	16.6	16.7
झारखंड	7.3	5.3	6.3	9.0	7.9	8.4	16.2	17.0	16.6
कर्नाटक	1.4	0.9	1.2	2.7	2.3	2.5	19.4	14.1	16.8
केरल	-	-	-	-	-	-	9.8	5.9	7.9
लद्दाख	4.9	2.1	3.5	3.1	0.8	1.5	12.3	9.9	11.4
लक्षद्वीप	-	-	-	0.0	0.4	0.0	10.6	2.7	6.7
मध्य प्रदेश	0.9	0.7	0.8	3.5	4.7	4.1	24.4	21.8	23.2
महाराष्ट्र	0.0	0.1	0.0	0.7	1.5	1.1	16.2	14.0	15.2
मणिपुरी	8.8	8.7	8.8	4.4	3.5	4.0	9.2	9.2	9.2
मेघालय	7.9	6.1	7.0	9.5	6.6	8.0	22.8	21.8	22.2
मिजोरम	8.0	7.6	7.8	3.8	1.2	2.5	23.2	17.5	20.4
नगालैंड	4.9	3.5	4.2	6.9	3.9	5.4	21.7	20.7	21.2
उड़ीसा	0.8	0.8	0.8	4.9	4.1	4.5	25.2	21.9	23.6
पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	10.8	4.9	7.9
पंजाब	-	-	-	-	-	-	4.8	0.0	1.6
राजस्थान	2.9	2.8	2.8	1.1	2.1	1.5	12.5	12.1	12.3
सिक्किम	0.5	0.0	0.0	-	-	-	25.6	21.1	23.2
तमिल नाडु	1.4	0.8	1.1	0.4	0.3	0.4	13.3	5.6	9.6
तेलंगाना	-	-	-	0.4	0.0	0.1	14.0	10.6	12.3
त्रिपुरा	2.2	1.8	2.0	3.8	3.2	3.5	27.0	26.4	26.7
उत्तर प्रदेश	2.8	2.5	2.6	0.2	4.0	2.1	14.5	14.2	14.4
उत्तराखंड	2.7	2.2	2.5	2.2	2.4	2.3	9.4	7.3	8.4
पश्चिम बंगाल	0.9	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	14.1	13.6	13.8
कुल	**1.7**	**1.2**	**1.5**	**2.2**	**3.0**	**2.6**	**17.0**	**15.1**	**16.1**

स्रोत: यूडीआईएसई+ 2019-20 (अनंतिम)

नोट: नकारात्मक स्कूल छोड़ने की दर रिपोर्ट नहीं की गई है।

****